

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

दिनांक: 12-11-2020


क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)()डीएलबी/19/16760

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री अनुज टण्डन, एडवोकेट को विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 19609 दिनांक 09.08.2019 के द्वारा क्रम संख्या 4 पर नगर निगम अजमेर के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त किया गया था।

निर्देशानुसार श्री अनुज टण्डन, पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार को नगर निगम अजमेर से तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/19/16761-16769 दिनांक: 12-11-2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
05. महापौर/आयुक्त, नगर निगम अजमेर।
06. श्री अनुज टण्डन, मार्फत नगर निगम अजमेर।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी